JANSATTA, Delhi, 19.8.2018
Page No. 1, Size:(18.00)cms X (15.86)cms.

# आधार की 'चेहरा मिलान' की सुविधा 15 सितंबर से

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

● दूरसंचार कंपनियां करेंगी इसकी शुरुआत

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने व्यक्ति की पहचान के सत्यापन की एक अतिरिक्त विधि के तहत फोटो का चेहरे से मिलान करने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा पहले दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ 15 सितंबर को शुरू की जा रही है।

प्राधिकरण ने इससे पहले चेहरा पहचानने की विधि एक जुलाई से लागू करने की योजना बनाई थी। फिर इसे बढ़ाकर एक अगस्त कर दिया गया था। इसके तहत मोबाइल सिम कार्ड के लिए आवेदन के साथ लगाए गए फोटो को संबंधित व्यक्ति के आमने-सामने लिए गए फोटो से की जाएगी। यूआइडीएआइ ने अगले महीने के मध्य से इस तय लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है। यूआइडीएआइ ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों के अलावा अन्य सत्यापन एजेंसियों के लिए चेहरा पहचानने की सुविधा के क्रियान्वयन के बारे में निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। प्राधिकरण ने इसके लिए कोई समय सीमा

बाकी पेज 12 पर

आधार की 'चेहरा मिलान' की सुविधा 15 सितंबर से

पेज 1 का बाकी

नहीं दी है। यूआइडीएआइ ने कहा है कि 'लाइव फेस फोटो' और ई-केवाइसी के दौरान निकाली गई तस्वीर का मिलान उन मामलों में जरूरी होगा, जिनमें मोबाइल सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम फिंगर प्रिंट में गड़बड़ी की संभावना या उसकी क्लोनिंग रोकने के लिए उठाया गया है। इससे मोबाइल सिम जारी करने और उसे एक्टिव करने की आडिट प्रक्रिया और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।

यूआइडीएआइ के एक परिपत्र के अनुसार 15 सितंबर से दूरसंचार सेवा कंपनियों को महीने में कम से कम 10 फीसद सत्यापन चेहरे का लाइव (सीधे) फोटो से मिलान करना जरूरी होगा। इस तरह का सत्यापन इससे कम अनुपात में हुआ तो प्रति सत्यापन 20 पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। इस साल जून में हैदराबाद के एक मोबाइल सिम कार्ड वितरक ने आधार ब्योरे में गड़बड़ी कर हजारों की संख्या में सिम एक्टिवेट किए थे।

यूआइडीएआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा कि लाइव फेस फोटो को ई-केवाइसी फोटो से मिलाने का निर्देश सिर्फ उन्हीं मामलों में जरूरी होगा जिनमें सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के निर्देशानुसार यदि सिम आधार के अलावा किसी अन्य तरीके से जारी किया जाता है, तो ये निर्देश लागू नहीं होंगे।